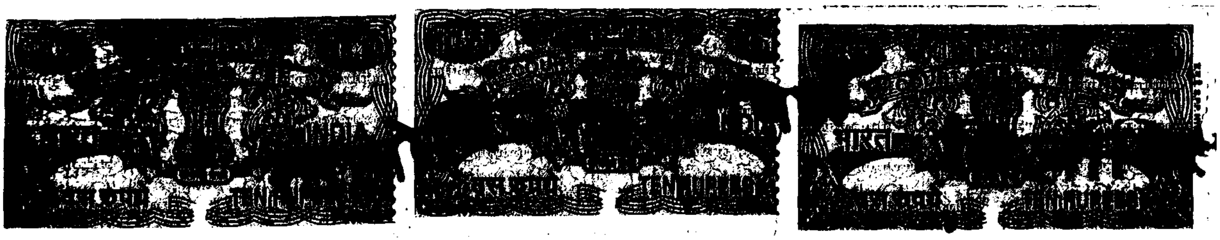

87

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी कमांक :– /2017 R 1133-I-17

श्रीमती कमला विश्वकर्मा पत्नी स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा

..................निगराकार

ब ना म्

1. म0प्र0 राज्य
2. श्रीमती सुशीला पत्नी स्व. श्री जयराम शर्मा

..........प्रति निगराकार

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी वन्दोवस्त आयुक्त के प्रकरण कमांक 6–अपील/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1133—पीबीआर/2017/ जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12—5—2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष आवेदिका की ओर से दिनांक 26—5—04 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन लगभग 12 वर्ष विलम्ब से वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया है । इतने अत्यधिक विलम्ब को क्षमा करने का सद्भाविक कारण नहीं पाते हुये बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन अग्राह्य करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	